

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

संचिका संख्या-4/आ0-03-1002/2019-

189 राँची, दिनांक-

23/10/19

उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक 392 दिनांक 31.03.2017 के समीक्षोपरान्त श्री कामदेव उराँव, तत्कालीन कनीय अभियंता, प्रशाखा जमुआ, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल-1, गिरिडीह एवं अन्य के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल-1 गिरिडीह अन्तर्गत आपदा प्रबंधन मद से दिनांक 29.01.2018 को निर्गत कार्यादेश के तहत कराये गये कार्य एवं भुगतान में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि के गबन में सहयोग करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया।

2. उक्त आरोपो के विरुद्ध विभागीय पत्रांक 1666 दिनांक 17.04.2018 द्वारा श्री उराँव एवं अन्य से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक श्री उराँव द्वारा उनके पत्रांक शुन्य दिनांक 02.05.18 एवं पुनः पत्रांक शुन्य दिनांक 11.09.18 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्री उराँव द्वारा आरोपो की स्वीकारोक्ति की गई है। श्री उराँव से प्राप्त स्पष्टीकरण सहित पुरे मामले की सम्यक् समीक्षा विभाग द्वारा की गई जिसके उपरान्त श्री उराँव के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मद से दिनांक 29.01.2018 को निर्गत कार्यादेश के तहत कराये गये कार्य एवं भुगतान में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि के गबन में सहयोग करते हुए सरकारी सेवक आचार नियमावली, PWD code एवं वित्त नियमावली का उल्लंघन करने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाते हुए विभागीय आदेश संख्या-297 सपटित ज्ञापांक-4519 दिनांक-01.11.18 द्वारा श्री उराँव को निलंबित किया गया एवं उनके विरुद्ध प्रपत्र-क गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन संबंधी आदेश अलग से निर्गत करने का आदेश दिया गया है।

3. उक्त आदेश के आलोक में श्री कामदेव उराँव, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' गठित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत विभागीय आदेश संख्या 25 सपटित ज्ञापांक 393 दिनांक 24.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत श्री उराँव, कनीय अभियंता द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। उक्त समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री उराँव को विभागीय आदेश संख्या 90 सपटित ज्ञापांक 2017 दिनांक 07.06.2019 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

4. उक्त के क्रम में जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री उराँव के विरुद्ध जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री उराँव के विरुद्ध गठित दोनों ही आरोप आंशिक रूपेण प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

5. उक्त आंशिक रूपेण प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु विभाग द्वारा श्री उराँव से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसके अनुपालन में श्री उराँव द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई जिसमें पाया गया की श्री उराँव द्वारा आंशिक रूपेण प्रमाणित आरोपों के विरुद्ध कोई नया तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल पूर्व में ही समर्पित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

6. तत्पश्चात् सम्पूर्ण मामले की समीक्षोपरांत सक्षम प्रधिकारी द्वारा श्री उराँव के विरुद्ध आंशिक रूपेण प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 14 के तहत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं :-

- श्री कामदेव उराँव, तत्कालीन कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गिरिडीह सम्प्रति कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा का दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध किया जाता है।
- श्री उराँव, कनीय अभियंता को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता से अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
- उक्त आदेश के साथ श्री उराँव के विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या 25 सपटित ज्ञापांक 393 दिनांक 24.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4 / आ0-03-1002 / 2019-

3817

राँची, दिनांक-

23/10/19

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4 / आ0-03-1002 / 2019-

3817

राँची, दिनांक-

23/10/19

प्रतिलिपि- मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 एवं 04 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4 / आ0-03-1002 / 2019-

3817

राँची, दिनांक-

23/10/19

प्रतिलिपि-श्री कामदेव उराँव, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल-01, गिरिडीह, प्रशाखा-जमुआ सम्प्रति कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4 / आ0-03-1002 / 2019-

3817

राँची, दिनांक-

23/10/19

प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT),(PMU)पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

23/10/19